

सं -77/3/2017 --प्रशासन- ।

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम ब्यूरो

एस सी.ओ 28-31, सेंटर 17/ए, चण्डीगढ़ 160017
दिनांक : 17.12.2020

टी.अनर.24,खजाना नियम 272
आवधिक वेतन-वृद्धि का प्रमाण पत्र 102/2020

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सरकारी कर्मचारियों ने स्तम्भ 6 में दी हुई दिनांक से निर्धारित आवधिक वेतन-वृद्धि प्राप्त कर ली है ; यह वेतन वृद्धि पाने से पहले वे निविद पद पर स्तम्भ 5 में दी हुई दिनांक से कम से कम एक वर्ष को अवधि की गणना करते समय अवकाश के कारण हुई मुअत्तली और दिना वेतन अवकाश की अवधि तथा यदि वे उक्त पद पर स्थानापन्न रूप में अथवा अरथर्ड पद पर भूत में काम कर रहे हैं तो ओसत सहित अवकाश की अवधि अन्य स्तम्भ प्रकार के अवकाश की अवधि घटा दी गई है ।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिस/जिन स्थानापन्न कर्मचारियों का/के नाम दिए गए हैं उनके द्वारा प्राप्त अवकाश अवधि (या) वेतन-वृद्धि की गणना में ली गई है जिस दौरान यदि वह/वे अवकाश पर न होते तो वर्तमान पद/पदों ही स्थानापन्न रहते ।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन कर्मचारियों के नाम दिए हैं उन्होंने उल्लिखित दिनांक से वेतन-वृद्धि प्राप्त कर ली है । इसके कारणों का उल्लेख साथ लगे व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है ।

क्रम सं	पदधारी का नाम	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	वर्तमान वेतन जिस दिनांक से मिल रहा है	आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक	आगामी वेतन	कार्य की अनुपस्थिति जिस वेतन-वृद्धि के लिए गणना में नहीं लिया गया है।	बिना वेतन अवकाश की अवधि के तथा जो स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं उनके मामलों में स प्रकार के अवकाश की अव जिसके दौरान वह पदों पर स्थानापन्न रहते हैं।
1)	श्रीमती मीना बक्शी, सहायक निदेशक(राजभाषा)(तदर्थ)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-10	Rs. 80,000/- (Cell 13)	04.12.2019	01.07.2020	Rs. 82,400/- (Cell 14)	-	

(राकेश कुमार)
अनुभाग अधिकारी

वितरण -

1. संबंधित सभी अधिकारी ;
2. रोकड़ अनुभाग/कार्यालयध्यक्ष ;
3. व्यक्तिगत मिस्टील/कार्यालय आदेश पुस्तिका।